दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र-8(2) दिल्ली विधान सभा के आठवें सत्र के दूसरे भाग का पहला दिन अंक-65

सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :-

1. श्री अ. दयानन्द चंदीला अ.
2. श्री अनिल भारद्वाज
3. श्री अनिल झा
4. श्री अनिल कुमार
5. श्री अरविन्दर सिंह
6. श्री आसिफ मो. खान
7. श्री बलराम तंवर
8. श्रीमती बरखा सिंह
9. चौ. भरत सिंह
10. डॉ. देवेन्द्र यादव
11. श्री धर्मदेव सोलंकी
12. श्री हरिशंकर गुप्ता
13. डॉ. हर्ष वर्धन
14. श्री हरशरण सिंह बल्ली
15. प्रो. जगदीश मुखी
16. श्री जयभगवान अग्रवाल
17. श्री जय किशन
18. श्री जसवंत सिंह
19. श्री करण सिंह तंवर
20. श्री कुलवंत राणा
21. श्री मालाराम गंगवाल
22. श्री मंगत राम

23. श्री मनोज कुमार
24. चौ. मतीन अहमद
25. श्री मोहन सिंह बिष्ट
26. श्री मुकेश शर्मा
27. श्री नंद किशोर
28. डॉ. नरेन्द्र नाथ
29. श्री नरेश गौड़
30. श्री नसीब सिंह
31. श्री नीरज बैसोया
32. श्री प्रद्युम्न राजपूत
33. श्री प्रहलाद सिंह साहनी
34. चौ. प्रेम सिंह
35. श्री राजेश जैन
36. श्री राजेश लिलोठिया
37. श्री राम सिंह नेताजी
38. श्री रमेश बिधूड़ी
39. श्री रविन्द्र नाथ बंसल
40. डॉ. एस.सी.एल. गुप्ता
41. श्री साहब सिंह चौहान
42. श्री सतप्रकाश राणा
43. श्री शोएब इकबाल
44. श्री श्रीकृष्ण
45. श्री श्याम लाल गर्ग
46. श्री सुभाष चौपड़ा
47. श्री सुभाष सचदेवा
48. श्री सुमेश
49. श्री सुनील कुमार
50. श्री सुरेन्द्र कुमार
51. श्री सुरेन्द्र पाल रातावाल
52. चौ. सुरेन्द्र कुमार
53. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
54. श्री तरविन्दर सिंह मारवाह
55. श्री वीर सिंह धिंगान
56. श्री विपिन शर्मा

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र-8(2) बुधवार, 30 नवम्बर, 2011/मार्गशीर्ष 9, 1933 (शक) अंक-65

सदन अपराह्न 2.02 बजे समवेत हुआ।
अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

(राष्ट्रीय गीत-वन्दे मातरम्)

अध्यक्ष महोदय : चौथी विधान सभा के आठवें सत्र के दूसरे भाग की बैठक में आपका हार्दिक स्वागत है।

जैसा कि आपको मालूम ही है कि यह बैठकें विशेष प्रयोजन से बुलाई गई है। मुझे आशा है कि आप प्रस्तुत विषय पर गंभीरता से अपने विचार प्रकट करेंगे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, इससे पहले कि आप यह कार्यवाही शुरू करें, दो मामले जो दिल्ली के लिए बहुत ही महत्त्व के हैं। दिल्ली की जिन्दगी और मौत का सवाल है। एफ.डी.आई. रिटेल के अंदर बाहर से आये और मुख्यमंत्री जी ने यह बयान दे दिया है कि दिल्ली को इससे बड़ा लाभ होगा। दिल्ली के लाखों आदमी उससे बर्बाद होंगे, बेरोजगार होंगे और सारी दिल्ली यहाँ पर हजारों लोग....। अध्यक्ष महोदय, यह मामला कोई साधारण नहीं है। यहाँ पर सारी दिल्ली में कल यहाँ पर प्रधान मंत्री जी ने भी घोषणा कर दी और सोनिया जी ने भी घोषणा कर दी और मुख्यमंत्री ने भी घोषणा कर दी और

उनके कहने के बाद अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री घोषणा करें कि दिल्ली में कोई दुकान बाहर से आने वाली नहीं खुलेगी और नहीं तो.....अन्तरबाधाएँ

अध्यक्ष महोदय : वे बैठ गए हैं और आप मत बोलिए। आप बैठिए। आप बिना इज़ाजत के मत बोलिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक तो यह एफ.डी.आई. का मामला है और दूसरा बिजली की कंपनियों को दिल्ली सरकार ने दिल्ली को लूटने की खुली इज़ाजत दे रखी है। ये दो मामले ऐसे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने इस पर अल्पकॉलिक चर्चा माँगी है तो उसकी व्यवस्था आने तक तो कम से कम मेहरबानी करिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, इससे पहले इसको शुरू किया जाए। अध्यक्ष जी, आज सुबह पेपर्स में यह बात आई कि दिल्ली रेप केपिटल है।

....अन्तरबाधाएँ...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, यहाँ पर व्यापार चौपट हो जाएगा.....

अध्यक्ष महोदय : जिस प्रयोजन से सदन की बैठक बुलाई गई है.....

....अन्तरबाधाएँ....

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, वहाँ पर लगे या न लगे, दिल्ली चौपट हो जाएगी। इसका distributive character खत्म हो गया।

अध्यक्ष महोदय : जिस प्रयोजन से यह बैठक बुलाई गई है। कृपा करके पहले उसको रखने दें।

....अंतरबाधाएँ...

श्री साहब सिंह चौहान : अध्यक्ष जी, इसमें कोई प्रोविजन नहीं है।

....अंतरबाधाएँ...

डॉ. हर्षवर्धन : लोग चारों ओर हाहाकार मचा रहे हैं।

....अंतरबाधाएँ...

श्री साहब सिंह चौहान : अध्यक्ष जी, Session is session, आप कहीं विशेष नहीं कह सकते।

....अंतरबाधाएँ....

अध्यक्ष महोदय : यदि आप लोग चर्चा ही चाहते हैं तो उस पर विचार किया जायेगा। आप पहले बिल रखने दीजिए। पहले बिल को इन्ट्रोड्यूस होने दीजिए।

(भा.ज.पा. के सदस्यों ने सीट पर खड़े होकर नारे लगाए।)

....अंतरबाधाएँ....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। देखिए, प्लीज कुलवन्त जी पहले बिल रखने दीजिए।

(भा.ज.पा. के सभी सदस्य महोदय के आसन के सामने वैल में आ गए।)

....अंतरबाधाएँ...

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठिए। डॉक्टर साहब, सी.एम. कुछ कहना चाहती हैं।

मुख्यमंत्री : एक मिनट, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आप ही की बात कर रही हूँ। सर मैं विपक्ष के.....।

....अंतरबाधाएँ...

अध्यक्ष महोदय : आप सब लोग बैठिए। आप बैठिए। कुलवन्त जी, आप नारे मत लगाइए।

....अंतरबाधाएँ...

अध्यक्ष महोदय : सदन की बैठक 20 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की कार्यवाही
20 मिनट के लिए स्थगित की गई।)

सदन अपराह्न 2:27 बजे पुनः समवेत हुआ
अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानंद शास्त्री) पीठासीन हुए।

अध्यक्ष महोदय : साथियों हमारे बीच में उपराज्यपाल गैलरी में भारत सरकार के पूर्व मंत्री विजय गोयल जी बैठें हैं, हम सब उनका हार्दिक स्वागत करते हैं।

अब श्री राजकुमार चौहान, शहरी विकास मंत्री दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्या-10) को सदन में पुर:स्थापित करने की अनुमति मांगेंगे।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्या-10) को सदन में पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

....व्यवधान...

(विपक्ष के माननीय सदस्य वैल में आए और नारेबाजी करने लगे)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

अब शहरी विकास मंत्री विधेयक को सदन में पुर:स्थापित करेंगे।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्या-10) को सदन में पुर:स्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री राजकुमार चौहान, शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाए।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से प्रस्ताव करता हूँ कि दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

अब शहरी विकास मंत्री विधेयक के संबंध में संक्षिप्त वक्तव्य देंगे।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष जी, आज इस सदन का जो यह सत्र बुलाया गया दिल्ली नगर निगम के संबंध में, दिल्ली के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। अध्यक्ष जी, जिस तरह दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर विकास कार्य किए, उसी तरह हमारी मुख्यमंत्री और हम सब यह चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर विकास कार्य तेजी के साथ होने चाहिए। अध्यक्ष जी, कभी 1957 के अंदर.....(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय : जो बिना अनुमति के बोल रहे हैं वो कार्यवाही में नहीं आना चाहिए।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष जी, एमसीडी 1957 के अंदर बनी, उस वक्त दिल्ली की पॉपुलेशन 30 लाख हुआ करती थी और आज अध्यक्ष जी, अगर 2011 में देखा जाए कहने को तो पौने दो करोड़ की आबादी इस दिल्ली की है लेकिन एनसीआर से भी 25-30 लाख व्यक्ति रोज़ रोजगार के लिए इस दिल्ली शहर में आते हैं। अध्यक्ष जी, आज का जो स्वरूप एमसीडी का है, अगर उसको देखा जाए तो दिल्ली के अंदर एमसीडी द्वारा दो करोड़

की इस आबादी को जो सर्विसेज देनी चाहिए वो नहीं दे पाती इसलिए दिल्ली को तीन भागों में बांटने का जो प्रस्ताव मैं लेकर आया हूँ अध्यक्ष जी, आज दिल्ली के अंदर एक तरफ दिल्ली सरकार के विभागों के काम आप देख लीजिएगा और एक तरफ एमसीडी के रोडों को आप देखिये अध्यक्ष जी, दिल्ली की विभिन्न कालोनियों के अंदर रोड टूटे पड़े हैं। यहाँ तक कि अगर सड़कों पर देखा जाए हम इतने सुंदर-सुंदर फलाई ओवर बनाते हैं लेकिन उन फ्लाई ओवर के ऊपर कूड़ा पड़ा होता है। सड़क पर गंदगी भरी रहती है। यहाँ तक कि अध्यक्ष जी, जो कलैक्शन हाउस टैक्स का इनको करना चाहिए, 32 लाख दिल्ली के अंदर हाउसेस है जिनसे हाउस टैक्स कलैक्ट करना होता है। अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सिर्फ 10 लाख मकानों से हाउस टैक्स लिया जाता है। अध्यक्ष जी, यह एमसीडी की कमी है। एमसीडी अपना जो टैक्स है, वो भी वसूल नहीं कर पाता है अध्यक्ष जी यह एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अध्यक्ष जी, जब तीन कारपोरेशन बनेंगी, आज दिल्ली के अंदर जिस तरह मुख्यमंत्री ने और हम सब ने यह प्रस्ताव हाउस में रखा है अध्यक्ष जी, सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, पार्टियाँ आती हैं। चली जाती हैं....व्यवधान।

अध्यक्ष महोदय : यह आप सब देखिये, चौहान साहब और राजकुमार जी में कुछ इशारे हो रहे हैं। जरा संभालिये उन्हें।

(विपक्षी सदस्यों द्वारा वैल में आकर नारेबाजी)

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष जी, यह जो बिल है यह बिल आने वाले वक्त के अंदर दिल्ली की जनता की सुविधाएँ बेहतर हो सके उस ओर यह काम किया जाएगा। अध्यक्ष जी, आज दिल्ली को छोटे-छोटे नगर निगम के अंदर बांटा जा रहा है और उसके

तहत् वहाँ पर विकास कार्य होंगे मैं मानता हूँ इस सेट अप को बैठने के लिए कम से कम एक वर्ष लगेगा पूरे सेट अप को। लेकिन जब पूरे तरीके से तीन हमारी कारपोरेशन काम करने लगेंगी तो मैं समझ सकता हूँ जिस तरह मुख्यमंत्री चाहती है हमारी सरकार चाहती है कि दिल्ली की डेवलपमेंट तेजी के साथ हो उस ओर कारपोरेशन अपना काम कर सकेगी। अध्यक्ष जी, एक तरफ पीडब्ल्यूडी के रोड आप देख लीजिएगा और एक तरफ एमसीडी के रोडों को आप देख लीजिए यह सब एमएलए हमारे विपक्ष के साथ खड़े हैं ये सब के सब विधायक नहीं चाहते हैं कि एमसीडी से कोई काम किया जाए चाहे आप. ..(व्यवधान)

....अंतरबाधाएँ...

अध्यक्ष महोदय : सदन की कार्यवाही दस मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही व्यवधान के कारण दस मिनट के लिए स्थगित की गई।)

सदन पुनः अपराह्न 02:49 बजे समवेत हुआ
अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। मैं कुछ व्यवस्थाएँ दे रहा हूँ।

....अंतरबाधाएँ...

अध्यक्ष महोदय : चर्चा नेता प्रतिपक्ष, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा जी ने मांगी है उस पर व्यवस्था दे रहा हूँ।

माननीय सदस्यगण मुझे माननीय नेता प्रतिपक्ष, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा एवं अन्य सदस्यों से नियम 55 के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा की सूचना प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने दिल्ली व देश के खुदरा व्यापार में सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निवेश करने की अनुमति प्रदान किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा कराने की मांग की है।

मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूँ कि प्रस्तुत विषय केन्द्र सरकार से संबद्ध है और केन्द्र सरकार भी इस विषय को गंभीरता से ले रही है। चूंकि यह विषय दिल्ली सरकार से संबंधित नहीं है इसलिए दिल्ली सरकार इस विषय पर कोई उत्तर भी नहीं दे सकती है। अत: मैं इस विषय पर चर्चा के लिए अपनी अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि यह बैठक एक विशेष प्रयोजन के लिए बुलाई गई है, इसलिये मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि वे अपने विचार एमसीडी बिल पर ही केन्द्रित करें।

....अंतरबाधाएँ...

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे नेता प्रतिपक्ष प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा एवं अन्य सदस्यों से नियम 55 के अंतर्गत एक अन्य अल्पकालिक चर्चा की सूचना दी है जिसमें उन्होंने बिजली की दरों में वृद्धि से उत्पन्न मामले पर चर्चा कराने की मांग की है। बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी अगस्त 2011 में की गई थी और इसी आठवें सत्र के दौरान 30 अगस्त, 2011 को सदन में कुछ सदस्यों द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया था जिस पर विस्तार से चर्चा हुई थी और ऊर्जा मंत्री ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के बाद अपने उत्तर भी दिये थे। मैंने सभी सदस्यों को बोलने का मौका भी दिया था, कुछ सदस्यों ने इस पर मंत्री जी से स्पष्टीकरण भी मांगे थे और ऊर्जा मंत्री जी ने स्पष्टीकरण भी दिए थे। मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूँ कि यह बैठक एक विशेष प्रयोजन के लिए बुलाई गई है। माननीय सदस्यों से आगह है कि वे इसी विषय पर अपने विचार केन्द्रित करें। अत: मैं इस विषय पर चर्चा के लिए अपनी अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

....व्यवधान...

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : बिजली के बिल उसके बाद बढ़कर आ गए और अब और बढ़ा रहे हैं।

....अंतरबाधाएँ...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये।

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, तब भी आपने डिस्कशन नहीं माना था। तब भी कॉल अटेंशन लाया गया था। डिस्कशन तब भी नहीं माना गया था।

....अंतरबाधाएँ...

अध्यक्ष महोदय : अब सदन की बैठक 1 दिसंबर 2011 को अपराह्न

.....व्यवधान.....

श्री कंवर करण सिंह : अध्यक्ष जी, यह विषय बड़ा गंभीर है और दिल्ली नगर निगम के बारे में हमारे काफी सदस्य बोलना चाहते हैं। कल 12 बजे बैठक बुला ली जाए। सर, हमारा निवेदन है कि सभी मैम्बर बोल लेंगे। कल की बैठक 2 बजे की बजाय 12 बजे बुला जी जाए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब सदन की बैठक 1 दिसंबर 2011 को 12.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक 1 दिसंबर 2011 को दोपहर 12.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

खण्ड-8(2) सत्र-8(2) / अंक-65

बुधवार 30 नवम्बर, 2011 / मार्गशीर्ष 9, 1933(शक)

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्यमेव जयते

चौथी विधान सभा

आठवें सत्र के दूसरे भाग की पहले दिन की बैठक

अधिकृत विवरण

(खण्ड-8(2) में अंक-65 एवं 66 सम्मिलित है)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग
Editorial Board

पी.एन. मिश्रा
सचिव

P.N. MISHRA
Secretary

लाल मणी
उप-सचिव (सम्पादन)

LAL MANI
Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-8(2) बुधवार, 30 नवम्बर, 2011/मार्गशीर्ष 9, 1933 (शक) अंक-65

क्र.सं.	*विषय*	*पृष्ठ संख्या*
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1
2.	दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक सं.10) पर आगे चर्चा, विचार एवं पारित करना	